न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 03/2006/रेफरेन्स

दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर जरिए इसके प्रेसीडेन्ट श्री पीरजादा शीबली कासीम दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब, दरगाह कार्यालय अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. नोरंगा
2. महादा
3. वासूदेवा
4. चौथू

पुत्रगण लिछमना जाति माली निवासी रघुनाथपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

5. मुशरफ खां (फौत)

5/1 शहीदा पत्नि मुशरफ खां

5/2 खैरून पुत्री मुशरफ खां

5/3 जैबुन पुत्री मुशरफ खां

समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासीगण मौहल्ला रामदेवरा वार्ड संख्या 20 फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर।

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी श्री अनिलकुमार भार्गव

निर्णय **दिनांकः—31.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसकी पुरानी खाता संख्या 68 वाके ग्राम माण्डेला छोटा, तहसील फतेहपुर में अवस्थित है जो दरगाह गरीब नवाज (ख्वाजा साहब) अजमेर के खातेदारी की जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 में भूमि धारक के कॉलम में श्री दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर शरीफ व अहतमाम पुजारी के रूप में नूरा वल्द गुलाब कौम फकीर का नाम दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि सम्वत् 2014 से 2017 में भूमि धारक के कॉलम में माफी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर शरीफ अहतमाम मुजावर नूरा वल्द गुलाब कौम फकीर साकिन फतेहपुर दर्ज है तथा काश्तकार के कॉलम में लिछमण वल्द गुलाब कौम माली साकिन रघुनाथपुरा दर्ज है तथा भूमि वर्गीकरण में 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि बारानी दोयम, 4 बीघा भूमि बारानी सोयम तथा 3 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज है। प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 130 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार है और इसी कारण उसके नाम उपरोक्त वर्णित अनुसार जमाबन्दियों में यह आराजी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज है, और प्रार्थी एक धार्मिक एण्डाउमेन्ट है, जिसका गठन केन्द्रीय अधिनियम Dargah *Khwaja Sahab Act, 1955 के अन्तर्गत किया गया है।* इस प्रकार प्रार्थी एक शाश्वत

Web Copy - Not Official

कॉलम में राजस्थान सरकार एवं कृषक के कॉलम में नौरंगा, महादा, वासूदेवा, चौथू, पिसरान लिछमना माली दर्ज हो गया अर्थात खातेदार के कॉलम में नौरंगा माहदा, वासूदेवा, चौथू का नाम दर्ज हो गया तथा खातेदार नौरंगा ने उक्त भूमि में से 4 बीघा भूमि का बेचान मुसरफ खां वल्द भादर खां मुसलमान को विक्रय कर तस्दीक कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि के खातेदार नौरंगा, महादा, वासूदेवा व चौथू पिसरान लिछमणा जाति माली व मुसरफ खां वल्द भादर खां हो गए, जबकि उक्त आराजी माफी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की है जो परिपिच्यूअल माइनर है। इसलिये उसकी आराजी की खातेदारी अन्य के नाम नहीं हो सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(i) के तहत माइनर की सम्पत्ति का प्रोटैक्शन है तथा दरगाह भी परप्यूलियल माइनर की श्रेणी में आती है। जिसकी आराजी के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के नाम सरपंच पंचायत समिति को नामान्तरकरण करने का तथा विधमान राजस्व रिकार्ड में उसके हितो के विपरीत परिवर्तन करने का काई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2018–2021 उक्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 12.08.1968 के सरपंच पंचायत समिति ग्राम नया बास जिला सीकर ने उक्त भूमि को नोरंगा, महदा, वासुदेवा व चौथू के नाम दर्ज कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उससे पूर्व की जमाबन्दियों में यह भूमि दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर शरीफ के नाम भूमि धारक के रूप में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 130 के बाबत ही नामान्तरकरण संख्या 251, 82 तथा 44 दिनांक 02.09.1962 व 12.08.1968 जो पंचायत समिति सरपंच नया बास जिला सीकर वासेदुवा पुत्र लिछमना के नाम दर्ज हुआ तथा खसरा नम्बर 130 के 130/1 व 130/2 नम्बर दर्ज कर दिए गए। उपरोक्त समस्त आराजियात की भूमि माफी दरगाह ख्वाजा साहब गरीब नवाज वाके अजमेर शरीफ की है जिसके नाम किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इसलिए नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 02.09.1962 तथा नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 12.08.1968 एवं इसके पश्चात व पूर्व जितने भी नामान्तरकरण हुए उन सबको खारिज़ किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 82, 44 तथा 251 दिनांक 02.09.1962 एवं 12.08.1968 एवं इसके पहले व पश्चात हुए नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स भिजवाने की कृपा करें।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री मोहनलाल चिरानिंया उपस्थित आये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहें। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2011 से 2014 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी दरगा ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेरी सरीफ व अहतमाम पुजारी नारा वल्द गुला को.फकीर सा.फतेहपुर के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 के मुताबिक भूमि धारक के कॉलम में माफी दरगा ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर शरीफ अहतमाम मुजावर नूरा वल्द गुलाब कौम फकीर साकिन फतेहपुर खुदकाश्त दर्ज है तथा काश्तकार के कॉलम में लिछमन पुत्र गुलाब कौम माली साकिन रघुनाथपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 में भी इसी प्रकार अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी नोरंगा महादा बसदेवा चौथू पि. लिछमना माली सा.रूघनाथपुरा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 में भी उपरोक्त आराजियात की खातेदारी नोरंगा महादा बसदेवा चौथू पि. लिछमना माली सा.रूघनाथपुरा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में अंकित नोट के मुताबिक नामांतकरण संख्या 82 के द्वारा खातेदार नौरंगा ने अपने हिस्से में से 4 बीघा भूमि का बेचान करने पर खाता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नौरंगा के बजाय मुसरफखां वल्द भादर मुसलमान के नाम मंजूर किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2030–2033 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी नोरंगा महादा बसदेवा चौथू पि. लिछमना माली सा.रूघनाथपुरा व मुसरफ खां वल्द भादर खां जाति कायमखानी सा.फतेहपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2051–2055 तक दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2011–2014 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी दरगा ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर सरीफ के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 के मुताबिक भूमि धारक के कॉलम में माफी दरगा ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर शरीफ अहतमाम मुजावर नूरा वल्द गुलाब कौम फकीर साकिन फतेहपुर खुदकाश्त के रूप में दर्ज है तथा काश्तकार के कॉलम में लिछमन पुत्र गुलाब कौम माली साकिन रघुनाथपुरा के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी नोरंगा महादा बसदेवा चौथू पि. लिछमना माली सा.रूघनाथपुरा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2011–2014 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी दरगा ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर सरीफ दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में भूमि धारक के कॉलम में माफी दरगा ख्वाजा गरीब नवाज वाके अजमेर शरीफ अहतमाम मुजावर नूरा वल्द गुलाब कौम फकीर साकिन फतेहपुर खुदकाश्त तथा काश्तकार के कॉलम में लिछमन पुत्र गुलाब कौम माली साकिन रघुनाथपुरा एवं उसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी नोरंगा महादा बसदेवा चौथू पि. लिछमना माली सा.रूघनाथपुरा के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डेला छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 130 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 82, 44, 251 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official